

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

~~रामा~~ के लक्ष

केस संख्या ४३/२०१५ (१२)

केस संख्या	दिनांक आजा या कार्यवाही	आजा विस्तृत रूप से
------------	-------------------------	--------------------

संभावना है कि वरिष्ठ वाडवा दुल्यता को रोकने व उनके संरक्षण हेतु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.11.2015 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। उक्त स्थगन आदेश कृपि जापो तथा सरकारी मौजनाओं पर लागू नहीं होगा।

~~परामर्शी के लक्ष सुपाए दी जाए~~

~~31 दिनांक दफ्तार हो~~

(Signature)
 सहायक कलक्टर
 आमेर मु० जयपुर